GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4539
(ANSWERED ON 20.08.2025)

SPECIAL MATERNITY LEAVE

4539. SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether the Government has made provisions for special maternity leave in cases of stillbirth or death of a child soon after birth for women employees;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether there is a provision for Special Casual Leave for Government employees donating organs; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Considering the potential emotional trauma caused due to stillbirth or death of a child soon after birth which has a far reaching impact on the life of mother, this Department on 2nd September 2022 made a provision to provide 60 days of Special Maternity Leave to a female Central Government employees, in such cases.

In recognition of the noble and selfless act of donating an organ to save or improve another human life, and with the aim of encouraging organ donation among Central Government employees, Special Casual Leave is provided by issue of orders on 25th April, 2023 by this Department so that a maximum of 42 days of Special Casual Leave can be granted to a Central Government servant for donating an organ. This is extended as a special welfare measure in the larger public interest.

****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4539
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर के लिए)

विशेष मातृत्व अवकाश

4539. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मृतजन्मे अथवा जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामलों में विशेष मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अंग दान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): बच्चे के मृतजन्म या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात, जिसका मां पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, पर विचार करते हुए, इस विभाग ने 02 सितंबर, 2022 को ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार की महिला कार्मिकों को 60 दिनों की विशेष मातृत्व छुट्टी प्रदान करने का प्रावधान किया।

किसी अन्य मानव जीवन को बचाने या बेहतर बनाने के लिए अंगदान के नेक और निःस्वार्थ कार्य के सम्मान में और केन्द्र सरकार के कार्मिकों के बीच अंग दान को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से इस विभाग द्वारा 25 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी करके विशेष आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान किया गया है ताकि केन्द्र सरकार के कर्मचारी को अंग दान के लिए अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जा सके। इसे व्यापक लोक हित में एक विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में प्रदान किया जाता है।

****

:_: www.staffnews.in :_: